प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of grant of Dearness Relief to the pensioners/ family pensioners- at 127% from 01.07.2011

Ref:- 1.Prl. Accountant General (A&E) Uttarakhand SSA No.PA/Pen/UK/DR/2012-13/420 Dt.03.05.2012

2. Government of Uttarakhand Finance 15/xxvii(7)02/2012 Dt.21.01.2012

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) , UTTARKHAND in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,
(ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून)

(विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत)

पत्रांक : पी0ए0 / पेंशन / उत्तराखण्ड / राहत / 2012–13 / 420 दिनांक 1/3 .05.2012

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद

विषय : उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के निम्नलिखित शासनादेशों को आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हें आप अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आपके राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड राज्य के सभी पेंशनरों को इसका लाभ मिल सकें।

शासनादेश संख्या 15 / XXVII(7)02 / 2012 दिनांक 21 जनवरी 2012 (दिनांक 01.01.2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकायों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2011 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण)।

भवदीय

Mahendra

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन

संख्याः 15 / XXvii(7)02. / 2012

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।

2– वित्त अधिकारी / कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।

3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून,दिनांक 21 जनवरी,2012

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01–07–2011 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:223 / XXvii(7)02 / 2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011।

2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)2008संस्था–II(ख) दिनांक 17 अक्टूबर,2011 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्या:223 / XXvii(7)02 / 2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011 द्वारा दिनांक 01–01–2011 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 115 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांकः 30 सितम्बर,2011 एवं 17 अक्टूबर,2011 के क्रम में दिनांक 01–01–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01–07–2011 से मंहगाई भत्ते को 115 प्रतिशत से बढ़ाकर 127 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599 / दस- 42(एम) / 97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति / संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2011 से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित) को छोडकर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2011 से 31 दिसम्बर,2011 तक (सेवानिवृत्त अथवा 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोडकर) की बढी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 जनवरी,2012 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त

संख्या : 15(1)/ XXVII(7)02/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. प्रमुख सचिव ,सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव।